

**उपायुक्त का कार्यालय, गुमला**  
(जन सूचना कोषांग)

**आ दे श**

सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के निमित्त किए गए पूर्व व्यवस्था को अतिरिक्त दुरुस्त करने के निमित्त एतर्थाद निम्नांकित कार्यालयों के लिए जन सूचना पदाधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया जाता है :-

क्र०	कार्यालय का नाम	जन सूचना पदाधिकारी	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	जिला गोपनीय शाखा, गुमला	प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, गुमला	उपायुक्त, गुमला
2.	जिला पंचायती राज कार्यालय, गुमला	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गुमला	उप विकास आयुक्त, गुमला
3.	उप समाहर्ता भूमि सुधार कार्यालय, गुमला	उप समाहर्ता भूमि सुधार, गुमला	अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

*[Signature]*  
उपायुक्त,  
गुमला

ज्ञापांक 383 / जन सू०, गुमला, दिनांक 24/10/2011

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जन सूचना पदाधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्ता, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम लोगों के जानकारी हेतु उक्त को सूचना पट्ट में अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।

*[Signature]*  
उपायुक्त,  
गुमला

ज्ञापांक 383 / जन सू०, गुमला, दिनांक 24/10/2011

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन-संपर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने संचार संशाधनों द्वारा आम लोगों को उक्त की जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।

*[Signature]*  
उप समाहर्ता भूमि सुधार, गुमला  
24/10/11

*[Signature]*  
उपायुक्त,  
गुमला

उपायुक्त का कार्यालय, गुमला  
(जन सूचना कोषांग)

आम सूचना

प्रायः देखा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु इच्छुक आवेदकों को संबंधित जन सूचना पदाधिकारी की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण वे यथोचित कार्यालय में आवेदन न देकर अन्य कार्यालयों में आवेदन पत्र समर्पित करते हैं। फलतः सूचना उपलब्ध बनान में अनावश्यक प्रक्रियाओं एवं समय का दोहन होता है, जिससे कार्यालय के साथ-साथ संबंधित आवेदक को भी सूचना के संकलन व प्राप्ति में अनुचित कठिनाई होती है।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखकर समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं से सूचना प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नांकित जन सूचना पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन व अपीलीय आवेदन समर्पित कर सकते हैं :-

क्र०	शाखा का नाम	जन सूचना पदाधिकारी	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	जिला राजस्व शाखा, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला	उपायुक्त, गुमला
2.	जिला विधि शाखा, गुमला	प्रभारी उप समाहर्ता, विधि शाखा, गुमला	उपायुक्त, गुमला
3.	जन शिकायत कोषांग, गुमला	प्रभारी उप समाहर्ता, जन शिकायत कोषांग, गुमला	उपायुक्त, गुमला
4.	जिला भू-अर्जन कार्यालय, गुमला	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला
5.	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गुमला	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला
6.	जिला सामान्य शाखा, गुमला	प्रभारी उप समाहर्ता, जिला सामान्य शाखा, गुमला	उपायुक्त, गुमला
7.	जिला नजारत शाखा, गुमला	जिला नजारत उप समाहर्ता, गुमला	उपायुक्त, गुमला
8.	जिला लेखा कार्यालय, गुमला	जिला लेखा पदाधिकारी, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला
9.	जिला भविष्य निधि कार्यालय, गुमला	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला
10.	कोषागार, गुमला	कोषागार पदाधिकारी, गुमला	उपायुक्त, गुमला
11.	जिला स्थापना शाखा, गुमला	जिला स्थापना उप समाहर्ता, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला
12.	जिला आपूर्ति कार्यालय, गुमला	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	उप निदेशक, (खाद्य), द०छ००प्र०, राँची
13.	जिला अभिलेखागार कार्यालय, गुमला	प्रभारी उप समाहर्ता, जिला अभिलेखागार, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला
14.	जिला निर्वाचन कार्यालय, गुमला	उप निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला	अपर समाहर्ता, गुमला

(6/9/11)  
उपर सूचना - 100  
जन सूचना पदा. गुमला  
A-9/11

उपायुक्त,  
गुमला